प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप डाफ्ट बॉण्ड

यह बन्ध-पत्र आज दिनांक ..... माह..... सन 200..... को एक पक्ष के ..... पद.....पर नियुक्त श्री .....पुत्र श्री.....निवासी ..... (जो इसमें आगे एतद पश्चात "प्रशिक्षार्थी" कहलावेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम जामिन श्री .....पुत्र श्री ..... निवासी ..... एवम् द्वितीय जामिन श्री .....पुत्र श्री ..... निवासी .....(जिन्हे इसमें आगे एतद पश्चात सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की ओर से राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें आगे एतद पश्चात सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि सरकार ने प्रशिक्षार्थी को ..... पद पर नियुक्ति हेतु चुना है।

और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी को उस पद पर का स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है ..... की अवधि का प्रशिक्षण..... और चूंकि सरकार इसमे आगे एतद पश्चात दी हुई शर्तों पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण पे भेजने के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो का पूर्णतः पालन करने के लिए जामिन मजानत देंगे,

और चूंकि जामिन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए जमानत देने को सहमत हो गये हैं।

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि-

(1) कि सरकार के प्रशिक्षणार्थी को.....के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के विचार से एवम् कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर वह उपयुक्त कथित पद जिसके लिए कि वह चुना गया है, से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिए वह चुना गया है, उससे अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।

(2) कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद द्वारा सहमत हैं कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लंघन करते हुए कही और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन पृथक- पृथक रूप से और सामूहिक रूप से वह समस्त राशि सरकार को वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देती है, इसके साथ वे सब अन्य खर्चे भी सरकार को लौटायेंगे जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि शामिल नही होगी;

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि तब तक नही लौटानी पडेगी जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है-

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य ..... रूपये से कम नही है।

कलक्टर/सहायक कलक्टर/
परगनाधिकारी/तहसीलदार
के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान देने हेतु-इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस सम्पत्ति अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।